न्यायालय उपखण्ड **कठूमर जिला अलवर**

मिसल नं०........2/164/2022 तारीख रजू.................

सन्तोष बनाम गोपालराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.06.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 1708, 1770, 1771, 1773,1784, 1825, 1829, 2127, 2132, 2139, 2116, 2117, 2118, 2125, 2134, 2137, 2141, 2269, 2270, 2270/2626 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 11.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 11.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
11/7/22	...पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12/8/22	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत [illegible] कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 13/8/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
13/8/22	पत्रावली आज लोक अदालत के समक्ष कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी अपने वाद [illegible] 72 RTA को नहीं चलाने का निवेदन किया। अतः अपने [illegible] 72 RTA को [illegible] [illegible] लिया है अतः [illegible] 72 RTA [illegible] वकील [illegible] के [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible] [illegible] के साथ [illegible] सम्बन्धित रहे। (सुनाया) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	सन्तोष शर्मा Munf Press